फा.सं. 15010-2/2014-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग
****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक, 18 सितम्बर, 2015

परिपत्र

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

****

संसदीय राजभाषा समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/ निकायों/ संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती रहती है। इन निरीक्षणों के दौरान समिति के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आए जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। ये मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

1. सभी कार्यालय प्रमुख समिति को प्रस्तुत की जानी वाली निरीक्षण प्रश्नावली में भरी जाने वाली सूचना की सत्यता को व्यक्तिगत तौर पर सुनिश्चित करें।
2. हिंदी पदों के सृजन से संबंधित मामलों पर समयबद्ध तरीके से शीघ्र कार्रवाई की जाए।
3. सभी कार्यालयों के राजभाषा/ हिंदी अधिकारी को ये निदेश दिए जाएं कि वे निरीक्षणों के दौरान उठाए गए प्रश्नों के सही एवम् सटीक उत्तर दें, और निरीक्षण के दौरान गंभीरता से अपने उच्चाधिकारियों को सहयोग दें।
4. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दें।
5. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 उप धारा 3 के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यत: हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी रूप में जारी करें।
6. हिंदी पत्राचार के बारे में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का पालन सुनिश्चित करें।
7. सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करें।
8. हिंदी में टिप्पणियां निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लिखें।
9. कर्मचारियों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाए।
10. अपने कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना (Action Plan) बनाएं और उसकी प्रति मंत्रालय को भिजवाए।

कुल/आव/क्र. 2930
पी.बी.क्र. 1079
दिनांक 05.10.15

(विनय शील ओबरॉय)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

वितरण:-
1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान आदि।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुखों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।